




राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी

क्रमांक :- 2051

दिनांक :- 09-03-2022

बोली निरस्तीकरण आदेश

श्रीमान आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 6(813)स्टोर/मेडिसिन किट/ICDS/2021-22/4863-95 दिनांक 10.01.2022 के तहत मेडिसिन किट सामग्री, क्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट बिड सूचना निविदा पत्रांक 1950 दिनांक 22.02.2022 NIB Code ICD2122A0131 UBN NO. ICD2122GLOB00124 का प्रकाशन करवाया गया जिसके तहत ई-बिड प्रपत्र का मूल्य, RISL प्रोसेसिंग फीस, बोली प्रतिभूति राशि एवं सेम्पल्स, जमा कराने की अंतिम तिथि 07.03.2022 व समय 01:00 PM तक किसी भी फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त ई-प्रोक्योरमेंट बिड प्रक्रिया को आरटीपीपी नियम -43(2)(h) के प्रावधानों के तहत निरस्त किया जाता है।


(महेश शर्मा) 09.03.2022

उपनिदेशक


महिला एवं बाल विकास विभाग

बून्दी

दिनांक :- 09-03-2022

क्रमांक :- 2052-54
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. ई-प्रोक्योरमेंट/SPPP पोर्टल पर अपलोड हेतु।


(महेश शर्मा) 09.03.2022

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

बून्दी